कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र अम्बिकापुर (छ.ग.)

क्रमांक/ 377 08/03/25/ अम्बिकापुर, दिंनाक

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व
अम्बिकापुर

विषय— अवैध रूप से भण्डारित नीलगिरी काष्ठ को सुपुर्द करने बावत् ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 07.03.2025 को ग्राम – मेण्ड्राकलां में अवैध रूप से नीलगिरी काष्ठ के भण्डारण की सूचना मिलने पर मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। जिसमें अवैध रूप से निलगिरी काष्ठ का भण्डारण मात्रा लगभग 60,000 घ.मी. इमारती एवं 50.000 घ.मी. जलाऊ पाया गया एवं 02 नग ट्रक CG04QB-3286 एवं ट्रक क्रमांक UP21DT3363 पूरी तरह से भरे पाये गए। जांच करने पर पाया गया कि नीगिरी प्रजाति के काष्ठ ग्राम पंचायत करैया, लब्जी एवं भाटापारा के कृषको शैलेष कुमार, विरेन्द्र कुमार, अशोक अजय कुमार एवं संतोष कुमार के निजी भूमि खसरा क्रमांक 630/2 एवं खसरा क्रमांक 446/2 मे स्वरोपित निलगिरी के वृक्षो की कटाई से प्राप्त कर परिवहन कराकर ग्राम मेण्ड्राकला में भण्डारित किया गया है। वन क्षेत्र से निलगिरी की कटाई नही की गई है, परन्तु उपरोक्त कृषको द्वारा सक्षम अधिकारी से बिना अनुमति के वृक्षो की कटाई की गई है, चुंकि मामला (राजस्व) निजी भूमि से संबंधित है इस हेतु उपरोक्त प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको हस्तांतरित किया जाता है।

कृपया अवैध रूप से भण्डारित निलगिरी काष्ठ एवं दो ट्रको को सुपुर्द में लेने का कष्ठ करे।

वन परिक्षेत्राधिकारी
अम्बिकापुर

क्रमांक/ 378 दिनांक/08/03/2025

प्रतिलिपिः—

1. वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. उपवनमण्डलाधिकारी अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।

वन परिक्षेत्राधिकारी
अम्बिकापुर